न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 270/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/319**
दायर दिनांक :– 06.10.2023 **निर्णय दिनांक :– 17.01.2025**

1. माणकराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. हड़मानराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुखराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3. भागचन्दराम पुत्र प्रहलादराम फौत के कायम मुकाम

3/1 खमादेवी पत्नी भागचंदराम जाति विनोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3/2 तेजाराम पुत्र भागचंदराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3/3 चुतराराम पुत्र भागचंदराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3/4 भंवरूराम पुत्र भागचंदराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3/5 विशनाराम पुत्र भागचंदराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3/6 मनोहरी देवी पुत्री भागचंदराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3/7 सोमारी देवी पुत्री भागचंदराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

4. मंगलीदेवी पुत्री प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
5. तुलछी देवी पुत्री प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी सोढादड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सिकन्दर खांन अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 5 व 3/1

3. श्री विजय तंवर अप्रार्थी सं. 3/3, 3/4 व 4

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि सरहद ग्राम शिवसागर पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयर में 90/869 हिस्सा भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की कब्जा काश्त की पैतृक खातेदारी अधिकारों की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की कदीमी पैतृक भूमि है जो पूर्व में इनके पिता प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के पिता प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के देहान्त होने पर अप्रार्थी सं. 1 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत कर विरासत नामान्तकरण सं. 1033 ग्राम चाखू दिनांक 03.10.1989 अप्रार्थी सं. 1 ने अपने आप को प्रहलादाराम का एक मात्र वारिस पुत्र बताकर अपने

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नाम खुलवाकर स्वीकृत करवा लिया। नामान्तरकरण स. 1033 ग्राम चाखू दिनांक 03.10.1989 स्वीकृत करवाने से पूर्व हल्का पटवारी ने प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के प्रथम वर्ग के वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम की वंशावली निम्नानुसार है :–

प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम

भागचन्दराम	माणकराम	सुखराम	हड़मानराम	मंगलीदेवी	तुलछीदेवी
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री

उपरोक्त वंशावली के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम की जायन्दा सन्ताने होने प्रथम वर्ग के वारिसान है। इसलिये ग्राम शिवसागर की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयर के 90/869 हिस्सा भूमि में प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के फौत होने पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक का हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार 1/6–1/6 हिस्सा पैतृक निहित हुआ इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मौके पर कब्जा व काश्त में शांतिपूर्वक चले आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि में काश्त द्वारा एवं प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जिसमें आज दिन तक किसी ने दखलअंदाजी नहीं की है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के पिता प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के फौत होने पर वादग्रस्त काश्त भूमि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 को प्रहलादराम से प्राप्त हिस्से में से प्राप्त हुई लेकिन अप्रार्थी सं. 1 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करके प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के नाम की उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण सं. 1033 ग्राम चाखू दिनांक 03.10.1989 केवल स्वयं अपने नाम गलत विधि विरूद्ध अंकित करवा दी, वास्तव में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त काश्त भूमि में प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के फौत होने पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा भूमि निहित हुई, प्रार्थी को विरासत नामान्तरकरण सं. 1033 ग्राम चाखू दिनांक 03.10.1989 खोलने व स्वीकृत किये जाते समय सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। प्रहलादराम के सभी विधिक वारिसान को शामिल किये बिना विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1033 ग्राम चाखू प्रार्थीएवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रार्थी के हिस्से तक प्रभावहीन व निरस्त योग्य है। ग्राम शिवसागर की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयरमें प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें तथा विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थीगण संख्या 1, 3/2 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका सारांश इस प्रकार है कि ग्राम शिवसागर पटवार हल्का नारायणपुरा के खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयर भूमि में 90/869 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है और अप्रार्थी सं. 1 ही उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि वादग्रस्त भूमि नहीं है। उक्त भूमि पूर्व में प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के नाम अवश्य दर्ज थी लेकिन उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 हड़मानराम का ही कब्जा व काश्त है और प्रहलादराम अप्रार्थी सं. 1 के साथ ही निवास करता था और प्रहलादराम की

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सेवा चाकरी अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा ही की जाती थी। प्रहलादराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने नाम दर्ज उक्त सम्पूर्ण भूमि का एक वसीयतनामा दिनांक 15.03.1979 को गवाहान के रूबरू अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अपने सम्पूर्ण होंश व हवास के गवाहान के रूबरू कर दिया था जब प्रहलादराम फौत हुए तो माफिक वसीयत अनुसार नामान्तरकरण सं. 1033 मौजा चाखू अप्रार्थी सं. 1 पक्ष में भरा जाकर आज से करीब 34 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। उक्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के अलावा प्रहलादराम के अन्य किसी भी वारिसान का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि में अपनी खातदोरी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। नामान्तरकरण सं. 1033 मौजा चाखू माफिक वसीयतनामा अनुसार अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ था और पिछले 34 वर्षो से उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है और गिरदावरी भी अप्रार्थी सं. 1 के नाम बन रही है।प्रार्थी को ग्राम चाखू वर्तमान नवसृजित ग्राम शिवसागर के खसरा नम्बर 523 के कुल रकबा में से 42–00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। अप्रार्थी संख्या 2 को ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1023 रकबा 44–04 बीघा भूमि आवंटन हुई थी तथा अप्रार्थी संख्या 3 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम ने ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1091 कुल रकबा में से 20–00 बीघा भूमि खरीद कर दी थी। इस प्रकार प्रहलादराम के तीन पुत्रों के नाम भूमि प्रहलादराम के जीवनकाल में ही दर्ज हो गई थी और प्रहलादराम के नाम दर्ज उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की थी जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी को उक्त वसीयतनामा की पूर्व से ही भलीभांति जानकारी थी लेकिन वर्तमान में प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को हैरान व परेशान करने के गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त भूमि पर केवल मात्र अप्रार्थी सां. 1 का कब्जा व काश्त है तो उक्त भूमि पर प्रार्थी की किसी भी हिस्से पर कब्जा व काश्त होने तथा फसल अवंरेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तो दिनांक 26.09.2023 को अन्य किसी भी तारीख अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि बैचान करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही नहीं बनता है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कब्जा व काश्त हीं नहीं है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने एवं प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1033 मौजा चाखू की जानकारी प्रार्थी को भली भांति थी। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। रेकर्डेड खातेदार को उसके नाम दर्ज भूमि का अन्तरण करने तथा उपयोग एवं उपभोग करने से कतेई रोका नहीं जा सकता है और न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है। इसलिये प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार ही है।प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं होने से अपूर्णीय क्षति, सुविधा का संतुलन एंव प्रथम दृश्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एंव मिथ्या कथनों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कहा कि ग्राम शिवसागर पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयर में 90/869 हिस्सा भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं.

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

1 ता 5 की कब्जा काश्त की पैतृक खातेदारी अधिकारों की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की कदीमी पैतृक भूमि है जो पूर्व में इनके पिता प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के पिता प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के देहान्त होने पर अप्रार्थी सं. 1 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत कर विरासत नामान्तकरण सं. 1033 ग्राम चाखू दिनांक 03.10.1989 अप्रार्थी सं. 1 ने अपने आप को प्रहलादाराम का एक मात्र वारिस पुत्र बताकर अपने नाम खुलवाकर स्वीकृत करवा लिया। नामान्तरकरण स. 1033 ग्राम चाखू दिनांक 03.10.1989 स्वीकृत करवाने से पूर्व हल्का पटवारी ने प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के प्रथम वर्ग के वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम की वंशावली वाद में अंकित अनुसार है। वाद पत्र में अंकित वंशावली के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम की जायन्दा सन्ताने होने प्रथम वर्ग के वारिसान है। इसलिये ग्राम शिवसागर की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयर के 90/869 हिस्सा भूमि में प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के फौत होने पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक का हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार 1/6–1/6 हिस्सा पैतृक निहित हुआ। प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के नाम की उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण सं. 1033 ग्राम चाखू दिनांक 03.10.1989 केवल स्वयं अपने नाम गलत विधि विरूद्ध अंकित करवा दी, वास्तव में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त काश्त भूमि में प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के फौत होने पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा भूमि निहित हुई, प्रार्थी को विरासत नामांतरकरण सं. 1033 ग्राम चाखू दिनांक 03.10.1989 खोलने व स्वीकृत किये जाते समय सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। नामान्तरकरण सं. 1033 ग्राम चाखू प्रार्थीएवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। ग्राम शिवसागर की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयर में प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें तथा विवादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 3/3, 3/4 ने बहस में कथन किया कि वकील प्रार्थीगण के तथ्यों से सहमत है माफिक इस्तदुआ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 3/2 व 5 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुवे कहा कि ग्राम शिवसागर पटवार हल्का नारायणपुरा के खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयर भूमि में 90/869 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है और अप्रार्थी सं. 1 ही उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि वादग्रस्त भूमि नहीं है। उक्त भूमि पूर्व में प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के नाम अवश्य दर्ज थी लेकिन उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 हड़मानराम का ही कब्जा व काश्त है और प्रहलादराम अप्रार्थी सं. 1 के साथ ही निवास करता था और प्रहलादराम की सेवा चाकरी अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा ही की जाती थी। प्रहलादराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने नाम दर्ज उक्त सम्पूर्ण भूमि का

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

एक वसीयतनामा दिनांक 15.03.1979 को गवाहान के रूबरू अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अपने सम्पूर्ण होंश व हवास के गवाहान के रूबरू कर दिया था जब प्रहलादराम फौत हुए तो माफिक वसीयत अनुसार नामान्तरकरण सं. 1033 मौजा चाखू अप्रार्थी सं. 1 पक्ष में भरा जाकर आज से करीब 34 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। उक्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के अलावा प्रहलादराम के अन्य किसी भी वारिसान का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि में अपनी खातदोरी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। नामान्तरकरण सं. 1033 मौजा चाखू माफिक वसीयतनामा अनुसार अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ था और पिछले 34 वर्षो से उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है और गिरदावरी भी अप्रार्थी सं. 1 के नाम बन रही है।प्रार्थी को ग्राम चाखू वर्तमान नवसृजित ग्राम शिवसागर के खसरा नम्बर 523 के कुल रकबा में से 42–00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। अप्रार्थी संख्या 2 को ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1023 रकबा 44–04 बीघा भूमि आवंटन हुई थी तथा अप्रार्थी संख्या 3 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम ने ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1091 कुल रकबा में से 20–00 बीघा भूमि खरीद कर दी थी। इस प्रकार प्रहलादराम के तीन पुत्रों के नाम भूमि प्रहलादराम के जीवनकाल में ही दर्ज हो गई थी और प्रहलादराम के नाम दर्ज उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की थी जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी को उक्त वसीयतनामा की पूर्व से ही भलीभांति जानकारी थी। उक्त भूमि पर केवल मात्र अप्रार्थी सां. 1 का कब्जा व काश्त है तो उक्त भूमि पर प्रार्थी की किसी भी हिस्से पर कब्जा व काश्त होने तथा फसल अवंरेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तो दिनांक 26.09.2023 को अन्य किसी भी तारीख अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि बैचान करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही नहीं बनता है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कब्जा व काश्त हीं नहीं है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने एवं प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 1033 मौजा चाखू की जानकारी प्रार्थी को भली भांति थी। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। रेकर्डेड खातेदार को उसके नाम दर्ज भूमि का अन्तरण करने तथा उपयोग एवं उपभोग करने से कतेई रोका नहीं जा सकता है और न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है। इसलिये प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार ही है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं होने से अपूर्णीय क्षति, सुविधा का संतुलन एंव प्रथम दृश्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एंव मिथ्या कथनों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के पिता प्रहलादराम पुत्र गोरखाराम के नाम से दर्ज थी। प्रहलादराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने नाम दर्ज उक्त सम्पूर्ण भूमि का एक वसीयतनामा दिनांक 15.03.1979 को गवाहान के रूबरू अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अपने सम्पूर्ण होंश व हवास के गवाहान के रूबरू कर दिया था जब प्रहलादराम फौत हुए तो माफिक वसीयत

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अनुसार नामान्तरकरण सं. 1033 मौजा चाखू अप्रार्थी सं. 1 पक्ष में भरा जाकर आज से करीब 34 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। प्रार्थी को ग्राम चाखू वर्तमान नवसृजित ग्राम शिवसागर के खसरा नम्बर 523 के कुल रकबा में से 42—00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। अप्रार्थी संख्या 2 को ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1023 रकबा 44—04 बीघा भूमि आवंटन हुई थी तथा अप्रार्थी संख्या 3 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम ने ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 1091 कुल रकबा में से 20—00 बीघा भूमि खरीद कर दी थी। इस प्रकार प्रहलादराम के तीन पुत्रों के नाम भूमि प्रहलादराम के जीवनकाल में ही दर्ज हो गई थी और प्रहलादराम के नाम दर्ज उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की थी जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जो तथ्य पत्रावली में आई जमाबंदी से प्रमाणित है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि का वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार है और मौके पर काबिज है।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनो बिन्दूओं का विचार किया गया है, प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 पिछले करीब 34 वर्षो काबिज है और प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि पर काबिज है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है।

वर्तमान में अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी सं. 1 को ही हो रही है। प्रार्थी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। वर्तमान में सोलर उत्पादन हेतु कार्य नही होने से अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी सं. 1 को ही हो रही है। जिसकी भरपाई आर्थिक रूप से किया जाना संभव नहीं है जिससे विकास कार्य भी वर्तमान में पुर्णतः रूका हुआ है। अतः उक्त बिन्दु भी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में साबित होता है।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं के अध्ययन करने से प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी ग्राम शिवसागर पटवार हल्का नारायणपुरा के खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 70.3343 हैक्टेयर भूमि के दिनांक 06.10.2023 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उनवान प्रार्थना पत्र खारिज किया है। पत्रावली फैसल सुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)